प्रारम्भिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहन सिंह, R.A.S

उनवान

1. श्रीमती मनोहरी पिता पन्ना पत्नी स्व. मोतीलाल बलाई निवासी घासा हाल आसना तह. मावली। ....वादी

बनाम

1. श्री प्रकाश पिता मु. एकलिंग बलाई निवासी पीपरोली तह. मावली।
2. श्रीमती कंकुबाई पुत्री मु. एकलिंग पत्नी सोहनलाल बलाई निवासी पीपरोली हाल 100 फीट रोड मीरानगर, झामेश्वर डेयरी के पास तह. गिर्वा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली। ....प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— 53 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 161/18 वाद

निर्णय दिनांक : 05.08.2019

अधिवक्ता वादीयां व प्रतिवादी सं. 2 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.08.2019 को मोहन सिंह, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि — मौजा घासा पटवार हल्का घासा तहसील मावली की आराजी नम्बर 613, 614, 617, 618, 619, 627, 628, 631, 632, 633, 3551, 3556 किता 12 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि का राजस्व रेकार्ड में अंकित पक्षकारान के मध्य कानूनी रूप से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/— रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं, कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो—दो प्रतियों में पेश किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फिस कमिश्नर वादीयां मौके पर अदा करें।

यह आज तारीख 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मोहन सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली

Scanned by CamScanner